न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/24/2021	2021/00084	08–10–2021	17–04–2023

01– बीना पुत्री धन्नी जाति ब्राहमण निवासी पुराने थाने के पीछे बानसूर जिला अलवर (राज0)

–अपीलांट

बनाम

01– संरपच ग्राम पंचायत बानसूर पंचायत समिति बानसूर जिला अलवर (राज0)
02– प्रमोद पुत्र सन्तोष देवी जाति ब्राहमण निवासी पुराने थाने के पीछे बानसूर जिला अलवर (राज0)
03– दलीप पुत्र सन्तोष देवी जाति ब्राहमण निवासी पुराने थाने के पीछे बानसूर जिला अलवर (राज0)
04– दीपक पुत्र कमला देवी जाति ब्राहमण निवासी पुराने थाने के पीछे बानसूर जिला अलवर (राज0)
05– गोरी पुत्री धन्नी जाति ब्राहमण निवासी पुराने थाने के पीछे बानसूर जिला अलवर (राज0)

–असल रेस्पोडेन्टान

06– बिल्लु दत्तक पुत्र बाई दोहिता धन्नी देवी जापति जाति ब्राहमण निवासी पुराने थाने के पीछे बानसूर जिला अलवर (राज0)

07– तहसीलदार बानसूर बहैसियत लेण्ड होल्डर बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)

–तरतीवी रेस्पोडेण्ट

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) ALWAR (RAJ.)

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार बानसूर दिनांक 10.07.2015 नामान्तकरण संख्या 444 वाके ग्राम बाढ भाव सिंह तहसील बानसूर जिला अलवर जिसके द्वारा असल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 के नाम बेजा तोर पर स्वीकार किया गया है।

उपस्थितः–

01–श्री अशोक कुमार मुदगल –वकील अपीलान्ट
01–श्री बृहम प्रकाश यादव –वकील रेस्पो0 संख्या 2 लगा0 5
03–श्री दीपक मीना –राजकीय अभिभाषक

–:निर्णयः–

अपीलाण्ट ने यह अपील तहसीलदार बानसूर के निर्णय दिनांक 10.07.2015 नामान्तकरण संख्या 444 वाके ग्राम बाढ भाव सिंह तहसील बानसूर से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एंव तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि विवादित आराजी जो मिन अपीलान्टान की माता धन्नी देवी की खातेदारी की कब्जे काश्त की आराजी रही है, जिनकी मृत्यु दिनाक 21.10.2014 को हो गयी थी। विवादित आराजी के सन्दर्भ

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

में जो दिनाक 19.06.2015 को ग्राम पंचायत बानसूर द्वारा मृतक धन्नी देवी के वारिसान का सजरा दिनाक 10.07.2015 को राजस्व अभियान में बाबत नामान्तकरण संख्या 444 में प्रस्तुत किया गया है, व खिलाफ कानून था, क्योकि मृतक धन्नी के 5 पुत्रीयॉ थी, जबकी सजरे में तीन पुत्रियॉ ही दर्ज की गयी थी, जो खिलाफ कानून होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्टान संख्या 02 लगायत 05 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से साज बाज होकर मृतक धन्नी देवी का विरासत का नामान्तकरण संख्या 444 दिनाक 10.07.2015 वाके ग्राम मौजा बाढ भाव सिंह को तीन हिस्सो मे गलत रूप से दर्ज करा लिया जबकि मृतक धन्नी के जायज वारिस काबिज जायदाद पॉच पुत्रीयॉ थी। वडी पुत्री का नाम वाई था जिसकी मृत्यु हो चुकी है जिसका विधिक वारिस तरतीवी रेस्पो0 संख्या 6 है। उसके वाद 2 नम्वर की पुत्री का नाम कमला था, जो लाऔलाद फोत हो चुकी गयी और उसके वाद 3 नम्वर संतोष थी, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, जिसके तीन पुत्र है, जो रेस्पो0 संख्या 2 लगा0 4 है, उसके वाद 4 नम्वर पर मिन अपीलान्ट स्वय है, व उसके बाद नम्बर 5 पर गौरी तरतीवी रेस्पो0 संख्या 5 है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 की प्रथम श्रेणी के वारिसान में हम मृतक धन्नी देवी की पॉच सगी पुत्रीयॉ वारिस काबिज जायदाद है, जिनमें से तीन पुत्रीयो की मृत्यु हो चुकी है, इस लिये वारिसान के आधार पर नामान्तकरण संख्या 444 को 1/5, 1/5 के हिसाब से दर्ज होना चाहिये था। जवकि नामान्तकरण संख्या 444 को रेस्पोडेन्टान संख्या 2 लगायत 5 द्वारा द्वारा बाला–बाला अपने नाम 1/3, 1/3 भाग दर्ज करा लिया वो खिलाफ मौका व खिलाफ कानून है। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना वारिसान की जॉच किये तथा बिना मिन अपीलान्ट को सुनवाई का मौका दिये आदेश पारित किया गया है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 10.07.2015 के विरूद्व अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर को पेश की गयी थी, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर ने निर्णय दिनाक 15.12.2017 में उलेखित किया है, कि नामान्तकरण संख्या 444 का निर्णय ग्राम पंचायत के द्वारा नही किया जाकर तहसीलदार बानसूर द्वारा दिनाक 10.07.2015 को किया गया है, तहसीलदार बानसूर के विरूद्व अपील सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय को नही है। अपील अपीलान्ट खारिज की गयी है। मिन अपीलान्ट बिना पढी लिखी महिला है। जिसे कानून की जानकारी नही थी। अपील न्यायालय हाजा को पेश की जानी चाहिये थी। मिन अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा गलत सलाह दी गयी गलत न्यायालय अपील पेश किये जाने के कारण गुजरा समय दिनाक 05.10.2015 से 15.12.2017 तक व उसके बाद नकल आदेश दिनाक 10.07.2015 की नकल दिनाक 25.1.2018 को प्राप्त हुई व 26, 27, 28, 29–1–2018 का अवकाश होने पर यह अपील बिना देरी किये धारा 5 व 14 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गयी है। अपील किये जाने में हुऐ विलम्ब लाइल्मी धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 444 निर्णय दिनाक 10.07.2015 वाके ग्राम बाढ भाव सिंह तहसील बानसूर जिला अलवर निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है, कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील 2 वर्ष 6 माह पश्चात पेश की गयी है, विलम्ब का कारण भी युक्तियुत नही है, विलम्ब के मामले में दिन प्रतिदिन का ब्यौरा देना होता है। तहत अदालत द्वारा नामान्तकरण संख्या 444 वाके ग्राम बाढ भाव सिंह तहसील बानसूर में वर्णित आराजी की विधिवत जॉच कर विधिवत निर्णय पारित किया गया है, अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज की जावें।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते जाहिर किया है, कि अपीलान्टान द्वारा 2 वर्ष 6 माह पश्चात यह अपील पेश की गयी है, अपील करने में हुऐ विलम्ब का कारण भी स्पष्ट नही किया गया है, जबकि विलम्ब के मामले में दिन प्रति दिन का ब्यौरा देना होता है। तहसीलदार बानसूर के द्वारा नामान्तकरण संख्या 444 वाके ग्राम बाढ भाव सिंह तहसील बानसूर विधिवत जॉच कर निर्णय पारित किया गया है। अपील में पारित निर्णय न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज की जावें।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलान्ट/रेस्पोडेन्टान व राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानूनी मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 444 निर्णय दिनांक

COURT OF THE A...

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

10.07.2015 वाके ग्राम बाढ भाव सिंह तहसील बानसूर जिला अलवर के विरूद्व अपील न्यायालय हाजा को दिनाक 31.01.2018 को पेश की गयी है, जो 2 वर्ष 6 माह पश्चात पेश की गयी है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.07.2015 की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 15.12.2017 को होना अंकित किया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि विवादित नामान्तकरण संख्या 444 में मृतक धन्नी के 5 पुत्रीयॉ थी, जबकी सजरे में तीन पुत्रियॉ ही दर्ज की गयी थी। रेस्पोडेन्टान संख्या 02 लगायत 05 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से साज बाज होकर मृतक धन्नी देवी का विरासत का नामान्तकरण संख्या 444 निर्णय दिनाक 10.07.2015 वाके ग्राम मौजा बाढ भाव सिंह को तीन हिस्सो मे गलत रूप से दर्ज करा लिया गया जबकि मृतक धन्नी के जायज वारिस काबिज जायदाद पॉच पुत्रीयॉ थी। इस लिये वारिसान के आधार पर नामान्तकरण संख्या 444 को 1/5, 1/5 के हिसाब से दर्ज होना चाहिये था। जवकि जो नामान्तकरण संख्या 444 को रेस्पोडेन्टान संख्या 2 लगायत 5 द्वारा द्वारा बाला–बाला अपने नाम 1/3, 1/3 भाग दर्ज करा लिया गया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सी.पी.सी का पेश कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर में विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 164/2016 उनवान बीना बनाम प्रमोद वगै0 की प्रति पेश की गयी है, तथा स्थगन प्रार्थना धारा अन्तर्गत 212 प्रार्थना पत्र संख्या 137/2016 उनवान बीना वनाम प्रमोद वगै0 की प्रति पेश की गयी है, जिसमें सुनवाई की विगत तारीख पैशी 22.02.2021 नियत थी। जिससे जाहिर है, कि नामान्तकरण संख्या 444 निर्णय दिनाक 10.07.2015 वाके ग्राम मौजा बाढ भाव सिंह में वर्णित आराजी के बाबत घोषनात्मक राजस्व वाद धारा अन्तर्गत 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विचाराधीन है, तथा वर्णित आराजीयात पर स्थगन आदेश भी जारी किया गया है। जब पक्षकारान का घोषनात्मक वाद सक्ष्म न्यायालय में विचाराधीन है, तो सक्ष्म न्यायालय से ही अधिकार तय होने है, ऐसी स्थिति में अपील का कोई ऑचित्य नही रह जाता है। अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल राजस्व रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल रिकार्ड की जावें।

निर्णय आज दिनांक 17.04.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उत्तम सिंह शेखावत)
अति0 जिला कलक्टर, (प्रथम)
अलवर, (राज0)

अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)